उत्तर प्रदेश शासन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1
संख्या-95 / छिहत्तर-1 2020-20 स्वजल/2010 टी0सी0-अ
लखनऊः दिनॉक 21 जनवरी, 2020

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के अनुरूप समुचित मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम संचालित है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण समुदाय हेतु नियमित रूप से पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। आम जन-मानस को पेयजल की उपलब्धता के दृष्टिगत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पेयजल योजनाएँ अपने जीवनकाल (डिजाइन पीरियड) तक समुचित सेवा उपलब्ध करायें तथा पेयजल की गुणवत्ता मानक के अनुरूप हो।

2- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी कियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश संख्या-2211/38-5-2010-20 स्वजल/2010 (टी0सी0-अ), दिनांक 29 नवम्बर, 2010 को एतद्द्वारा संशोधित करते हुए जनपद स्तर पर "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :-

"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"

1	जिलाधिकारी।	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी।	सदस्य
3	जिला विकास अधिकारी	सदस्य
4	प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य।	सदस्य
5	Integrated Tribal Development Agency (ITDA)/ Integrated Tribal Development Programme (ITDP) जिलों के प्रोजेक्ट डायरेक्टर	सदस्य
6	जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी।	सदस्य
7	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।	सदस्य
8	अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस /सिंचाई	सदस्य
9	अधिशासी अभियन्ता ग्राउण्ड वाटर	सदस्य
10	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
11	जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी	सदस्य
12	अध्यक्ष द्वारा नामित इन क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति -जल प्रबन्धन, सामुदायिक स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास	सदस्य
13	अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम।	सदस्य सचिव

3- उपरोक्तानुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" के कार्य एवं दायित्व निम्नानुसार होंगे :-

i.	प्रत्येक ग्राम में FHTCs हेतु विलेज एक्शन प्लान (VAP) तैयार कराना।
ii.	वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को FHTC प्रदान करने के लिए जिला कार्य योजना (डीएपी) को अंतिम रूप देना।
iii.	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन जिले में इन-विलेज जलापूर्ति योजनाओं / परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना।
iv.	कन्वेजन्स के माध्यम से सोर्स सस्टेनेबिलिटी के कार्य एवं ग्रे वाटर मैनेजमेन्ट हेतु धनराशि उपलब्ध कराना तथा इन अवयवों के सम्मिलित होने पर ही डी0पी0आर0 आगणन का अनुमोदन करना।
v.	कार्यान्वयन सहायता एजेन्सियों (आई0एस0ए0) के सहयोग हेतु ग्राम पंचायतों का चिन्हीकरण, सूचीबद्ध कार्यान्वयन सहायता एजेन्सियों को कार्य आवंटित करना तथा कार्यों का अनुश्रवण करना।

Scanned with OKEN Scanner

vi.	VAP में सक्रिय भागीदारी के लिए PHED / RWS विभाग को आवश्यक दिशा–निर्देश देना तथा ग्राम पंचायत / उप समिति से परामर्श उपरान्त डीपीआर तैयार करना। ।
vii.	विलेज एक्शन प्लान्स (VAP), जिसमें इन–विलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे रेट्रोफिटिंग या नई योजना के साथ कार्यान्वयन हेतु समय–सीमा सम्मिलित हो, को अनुमोदन प्रदान करना।
viii.	एस0डब्ल्यू0एस0एम0 द्वारा निर्धारित डिजाइनों में से यूनिट टाइप डिजाइन तथा लागत को अन्तिम रूप देना तथा अनुमोदन करना।
ix.	वार्षिक अनुमानित आवश्यकता के आधार पर सूचीबद्ध एजेन्सियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा उनको कार्य आवंटित करना।
x.	भुगतान से पूर्व थर्ड पार्टी एजेंसी से निरीक्षण कराना।
xi.	ग्राम पंचायतों की उप–समिति, अर्थात VWSCs /पानी समिति/ उपभोक्ता समूह इत्यादि के गठन में सहायता तथा योजना के कार्यान्वयन हेतु सहयोग करना।
xii.	ग्राम पंचायत और / या इसकी उप–समिति, अर्थात VWSC / पानी समिति / उपभोक्ता समूह, आदि के साथ समन्वय करना, सूचनाएं एकत्र करना तथा जिला कार्य योजना (डीएपी) तैयार कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (एस0डब्ल्यू0एस0एम0) को प्रेषित करना।
xiii.	प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम (पी0एम0के0वी0के0) के साथ समन्वयन कर कुशल मानव संसाधन तैयार करना जिनके सहयोग से इन–विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके। इस हेतु सपोर्ट मद से धनराशि व्यय की जा सकती है।
xiv.	जल जीवन मिशन (जे0जे0एम0) की भौतिक और वित्तीय प्रगति को एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई0एम0आई0एस0) पर नियमित अपडेट करना।
xv.	भौतिक और वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण।
xvi.	स्वयं सेवी संस्थाा / स्वैच्छिक संस्था / सामुदायिक आधारित संस्था भागीदारों को कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों (ISA) के रूप में तैनात करना।
xvii.	आई0ई0सी0 / बी0सी0सी0 रणनीति को लागू करना तथा मात्राकृत सपोर्ट मद की धनराशि का प्रभावी उपयोग करना।
xviii.	राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किए जाने वाले व्यक्तियों का चिन्हीकरण करना, जिनके माध्यम से ग्राम पंचायत और / या इसकी उप–समिति, अर्थात VWSC / पानी समिति / उपयोगकर्ता समूह, आदि का क्षमता संवर्धन किया जा सके।
xix.	ग्राम पंचायत और / या इसकी उप–समिति, अर्थात VWSC / पानी समिति / उपभोक्ता समूह, आदि से कमीशन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त IMIS पर FHTCs अपलोड करना।
xx.	JJM IMIS पर जिले की रिपोर्ट, सफलता की कहानियाँ, बेस्ट प्रैक्टिसेस का अनुमोदन तथा साझा करना।
xxi.	केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रारम्भ किए गए अभियानों का संचालन करना।
xxii.	उत्तम कार्य कर रही ग्राम पंचायत और / या इसकी उप–समिति, अर्थात VWSC /Paani समिति / उपभोक्ता समूह, आदि और कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों (ISA) को समय–समय पर चिन्हित कर बढ़ावा देना।
xxiii.	सुधारात्मक कार्यवाही हेतु स्वास्थ्य संकेतक, जल जनित बीमारियों आदि के डेटा का विश्लेषण।
xxiv.	आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायत और / या इसकी उप–समिति, अर्थात VWSC / Paani समिति / उपयोगकर्ता समूह, आदि के पदाधिकारियों हेतु एक्सपोजर विजिट की व्यवस्था करना।
xxv.	जल जीवन मिशन (जे0जे0एम0) के प्रारम्भ किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर राज्य विशिष्ट नारों का दीवार लेखन सुनिश्चित करना।
xxvi.	सूखे / बाढ़ जैसी आपदाओं के समय में सहयोग करना।
xxvii.	शिकायतों का निस्तारण।
xxviii.	समस्त सूचनाओं को IMIS पर अपलोड करना।

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

संख्या- 95 (1)/ छिहत्तर–1–2020–20 स्वजल/2010 टी0सी0–अ, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रधान निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, जल शक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश।

Scanned with OKEN Scanner

3. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, पंचायती राज, कृषि, वन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा, ग्राम्य विकास, नगर विकास विभाग, सूचना विभाग एवं समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग व लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा जिलाधिकारी)।
11. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश(द्वारा जिलाधिकारी)।
12. निदेशक, कोषागार जवाहर भवन, लखनऊ।
13. संयुक्त विकास आयुक्त/ उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14. समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश (द्वारा जिलाधिकारी)।
15. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लि0 लखनऊ।
16. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव

Scanned with OKEN Scanner